न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती प्रियंका गोस्वामी (I.A.S)
अपील : 101/2025
तारीख रजू : 15.07.2025 निर्णय दिनांक : 21.11.2025

उनवान

1. जगजीत पुत्र रोहिताश्व यादव जाति अहीर निवासी ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान। – अपीलान्ट

बनाम

1. उप तहसीलदार बहरोड़, जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान। – रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.06.2025 नायब तहसीलदार बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

01. वकील श्री जयप्रकाश शर्मा अपीलान्ट की ओर से।
02. पैरोकार सरकार।

––: निर्णय :––

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार बहरोड़ के आदेश दिनांक 11.06.2025 जिसके द्वारा अपीलार्थी को विवादित भूमि से भौतिक रूप से बेदखल किए जाने एवं लगान की 50 गुणा पैनल्टी वसूल किए जाने की आज्ञा से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि नायब तहसीलदार बहरोड़ द्वारा दिनांक 11.06.2025 को पारित आदेश धारा 91 एल.आर. एक्ट के अन्तर्गत अपीलकर्ता को भू–स्वामित्व से वंचित करते हुये उक्त भूमि को अतिक्रमण मानकर बेदखली का आदेश पारित किया गया है। उक्त भूमि पर पिछले 39 वर्षों से वैद्य रूप से काबिज है तथा यह भूमि पुश्तैनी पट्टेशुदा भूमि है जो पट्टा ग्राम पंचायत कांकरदौपा द्वारा दिनांक 04.11.1986 को हस्ताक्षर व मुहर शुदा जारी किया गया था उक्त वैद्य दस्तावेज के आधार पर भूमि अपीलार्थी के कब्जे में है, अपीलार्थी निर्बाध रूप से काबिज है। तहत अदालत द्वारा आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलकर्ता द्वारा नोटिस के जवाब में अंकित बिन्दुओं एवं उनके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों पर विधिवत् विचार नहीं किया गया। नायब तहसीलदार बहरोड़ द्वारा केवल मात्र राजनैतिक दबाव में आकर अपीलकर्ता के खिलाफ उक्त कार्यवाही अमल में लाई गई है इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि पिछले 39 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत कांकरदौपा द्वारा दिनांक 04.11.1986 को अपीलकर्ता के पिता रोहिताश व चाचा रामसिह के नाम से जांरी किया गया था व अपीलकर्ता अपने पिता की फुटस्टेज पर नोटिस में वर्णित भूमि पर काबिज है तथा अपीलकर्ता के पिता व चाचा जीवित है केवल मात्र अपीलकर्ता को ही टारगेट कर नोटिस दिया जाकर बेदखली के आदेश जारी किये गये, जिस सूरत में तहत अदालत का आदेश विधि–विरूद्ध है। भू–अभिलेखों में खसरा नम्बर 3666 का पुराना नम्बर 2576 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा था जो रेवेन्यू रिकार्ड में शमशान भूमि अंकित है संवत 2042 सैटलमेन्ट में रेवेन्यू रिकार्ड में अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती से अन्य कोई नम्बर मर्ज किये बिना खसरा नम्बर 3666 का रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा से 181 बीघा दर्ज कर दिया गया। उपरोक्त निर्णय पारित करने के समय प्रार्थी द्वारा बार बार उपरोक्त तथ्य की जानकारी दृष्टिगत की गई लेकिन नायब तहसीलदार बहरोड़ द्वारा राजनैतिक दबाव में आकर आनन फानन में निर्णय पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा दिनांक 11.06.2025 को पारित किया जाकर राजस्व विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने अपीलकर्ता को ऐलानिया धमकी दी है कि जल्द ही अपीलकर्ता को उसके तन्हा स्वामित्व की पटटेशुदा भूमि से बेदखल करके रहेगें यदि रेस्पोडेन्ट या उसके अधीनस्थ कर्मचारी/अधिकारी अपने नापाक ईरादे में कामयाब हो गये तो अपीलकर्ता की अपील का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा, अपीलकर्ता को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी जिसे अर्थ में नही मापा जा सकेगा। जिस सूरत में तहत अदालत के आदेश दिनांक 11.06.2025 की कार्यवाही को रोका जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः तहत अदालत नायब तहसीलदार बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.2025 निरस्त किया जाये तथा अपीलकर्ता को न्याय प्रदान करने की कृपा करे।

पैरोकार सरकार का तर्क है कि संवत 2082 ग्राम बर्डोद के आराजी ख० नं0 3666 रकबा 45.25 है० अतिक्रमित रकबा 0.01 है० किस्म आराजी गै0मु0 मरघट पर पक्का मकान का निर्माण कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा पेश किये जाने पर प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी को धारा 91(3) एल०आर०एक्ट० के तहत विधिवत् नोटिस जारी किया गया। नोटिस पूर्णरूपेण तामील होकर प्राप्त होने के बाद अपीलान्ट ने अपना लिखित जवाब पेश किया, जिसे अस्वीकार किया जाकर विधिवत् कार्यवाही की गई है। अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर अतिक्रमित भूमि आराजी ख० नं0 3666 रकबा 45.25 है० अतिक्रमित रकबा 0.01 है० किस्म आराजी गै0मु0 मरघट वाके ग्राम बर्डोद से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिये गये है, साथ ही भू राजस्व का वार्षिक लगान का पचास गुणा राशि के दण्ड से दण्डित किया गया है। वकील अपीलान्ट का कथन है कि हाल आराजी खसरा नंबर 3666 का साबिक खसरा नंबर 2576 मात्र 02 बीघा 10 बिस्वा का था, लेकिन बन्दोबस्त विभाग ने राजस्व रिकॉर्ड में बन्दोबस्त के समय गलती करते हुए 02 बीघा को 181 बीघा के रूप में दर्ज कर दिया, के संबंध में अपीलान्ट द्वारा सक्षम न्यायालय में चाराजाही करनी चाहिए। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवासीय पट्टा ग्राम पंचायत बर्डोद द्वारा जारी किया गया है जिसमें कहीं भी यह अंकित नहीं है कि उक्त आवासीय पट्टा अपील में वर्णित आराजी की भूमि के किसी हिस्से हेतु जारी किया गया है, अर्थात अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवासीय पट्टा में कहीं भी खसरा नम्बर अंकित नहीं है। इस प्रकार अपीलाण्ट/अतिक्रमी के विरूद्ध अतिक्रमण करने पर नियमानुसार विधिवत् एवं सही तथ्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये है, जो सही है तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है। अन्त में पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि उक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाने की कृपा करें।

हमने वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा कानून की मंशा देखी गई। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बहरोड़ की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नंबर 3666 रकबा 45.25 हैक्ट. के रकबा 0.01 हैक्ट. किस्म आराजी गैर मुमकिन मरघट वाके ग्राम बर्डोद में पक्का मकान का निर्माण कर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके लिए अपीलाण्ट को अतिक्रमण/कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अपीलान्ट ने राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है। अतः नायब तहसीलदार बहरोड़ द्वारा दिनांक 11.06.2025 को पारित आदेश सही साबित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली में संलग्न किया जावें। निर्णय प्रति के साथ तहत न्यायालय की पत्रावली वापस भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़